Separate cell for drought affected areas

2518. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to set up a separate cell for the development of frequent drought affected areas like Rayalseema in Andhra Pradesh and other areas in the country;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The management of natural disasters is primarily the responsibility of the State Government. The Planning Commision has advised the States to integrate disaster management programmes in the development process.

दिल्ली दुग्ध योजना में अनुसूचित जातियों के अधिकारियों पर हमला

2519. **श्रीमती सत्या बहिन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली दुग्ध योजना में कार्यरत अनुसूचित जातियों के अधिकारियों पर हमले के कुल कितने मामले पुलिस में दर्ज कराये गये है और सरकार ने हमलावरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ;

(ख) इन मामलों में दिल्ली दुग्ध योजना के कितने कर्मचारी अंतर्ग्रस्त हैं और सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) सरकार ने अनुसूचित जातियों के अधिकारियों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी०सी० लेंका): (क) और (ख) दिल्ली दुग्ध योजना में कार्यरत अनुसूचित जाति के अधिकारियों पर हमले के दो मामले पटेल नगर पुलिस थाने में दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में अन्तर्ग्रस्त दिल्ली दुग्ध योजना के छ कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया तथा उन मामलों पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। दिल्ली दुग्ध योजना ने उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही भी शुरू कर दी।

(ग) दिल्ली पुलिस ने, विवरण (**नीचे दे खिये**) के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के सम्मान तथा सुरक्षा के लिए प्रारंभिक उपायों की सूची सहित एक परिपत्र सभी पुलिस बलों को जारी किया है। दिल्ली दुग्ध योजना परिसर में अप्राधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए विभिन्न स्थलों पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारियों को, दिल्ली दुग्ध योजना के महाप्रबंधक के निवास-स्थान तथा कार्यालय में सुरक्षा प्रबन्ध करने का अनुरोध किया गया है।

विवरण

परिपत्र

भारत सरकार ने, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की सुरक्षा तथा उन पर अत्याचारों को रोकने के लिए बहुत से अधिनियम/योजनाएं बनाई हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है :–

(क) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों को रोकना) अधिनियम।

(ख) नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 1955।

(ग) बन्धुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976।

(घ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1946।

(ङ) बाल श्रम (निषेध तथा विनियमन) अधिनियम, 1986; तथा

(च) अत्याचारों के शिकार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पुनर्वास के लिए बृहत योजना।

2. इन अधिनियमों/योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, सभी जिलों के पुलिस उप-आयुक्तों पुलिस उपायुक्त/अपराध तथा रेलवे और आई०जी०आई० एयरपोर्ट, एस०डी०पी० ओ० एस० तथा एस०एच०ओ० को, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के सम्मान तथा सुरक्षा के लिए निम्नलिखित प्रारंभिक उपाय शुरू करने के वास्ते बल दिया गया है :-

(क) सभी जिलों के पुलिस उपायुक्त, अपराध तथा रेलवे और आई० जी०आई० एयरपोर्ट अपनी मासिक बैठकों में, अपने एस०डी०पी०ओ० एच०एच०ओ० ।आई०ओ० को, पूर्वोक्त अधिनियमों/योजनाओं में रखे गए प्रावधानों के बारे में जानकारी दें तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के सम्मान तथा सुरक्षा के लिए उनमें अधिक जागरूकता पैदा करें।

(ख) सभी एस०डी०पी०/ओ तथा एस०एच०ओ० द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार प्रवण क्षेत्रों की पहचान की जाय तथा आवश्यक निरोधक कार्यवाही की जाए।

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों की सभी घटनाएं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से दर्ज की जाएं तथा सख्ती से निपटाई जाएं। ऐसे मामलों को दर्ज करने अथवा अपराध के दृश्यों को देखने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए।

(घ) इस संबंध में सभी अधिकारियों तथा व्यक्तियों को नियमित रूप से जानकारी दी जाए ताकि कानून के तहत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों को उचित क्षति पूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके।

(ङ) सभी संज्ञेय मामलों की जांच निर्धारित अवधि के भीतर पूरी कर ली जानी चाहिए तथा यथाशीघ्र न्यायालयों में चालान प्रस्तुत किए जाने चाहिएं। जब कभी निष्क्रियता का कोई मामला नोटिस में आता है तो कुछ करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए।

(च) जहां तक संभव हो, पुलिस चौकियों में अनुसूचित/जाति तथा अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से संबंधित उच्च तथा अवर अधीनस्थ व्यक्तियों को सही प्रतिनिधित्व दिया जाए जिससे अनुसूचित जातियों। अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों। घनी आबादी वाले क्षेत्रों को कवर किया जा सके।

(छ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचारों के मामलों के प्रबोधन के लिए सभी पुलिस थानों में "विशेष सम्पर्क कक्ष" स्थापित किए जाएं। अनुसूचित जाति। अनुसूचित जनजाति कल्याण निदेशालय कमरा संख्या 85; पुराना सचिवालय, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली से नियमित सम्पर्क बनाए रखने के लिए "नोडल अधिकारियों" को भी नियुक्त किया जाए।

(ज) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अत्याचारों के सभी मामले जैसे और जिस समय सूचित/दर्ज किए जाए, तो इनकी रिपोर्ट इस मुख्यालय को भेजी जाए तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति अथवा अन्य राहत की मंजूरी देने के लिए निदेशालय को भेजने हेतु आवश्यक टिप्पणी दी जाए।

(झ) चूंकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदाय के अधिकांश सदस्य गरीब, अनपढ़ हैं तथा उन व्यक्तियों, जिन्होंने उन पर अत्याचार किए हैं, के बदले से डरते हैं, उनका मार्गदर्शन किया जाए तथा एस.एच.ओ. और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा क्षति-पूर्ति हेतु अपनी शिकायतों को खुले विचार विमर्श के लिए आगे आने के वास्ते उन्हें प्रोत्साहित किया जाए।

3. उपर्युक्त उपायों के साथ-साथ, प्रशिक्षणाचार्य/पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, सभी मूल पुनश्चर्या तथा प्रोत्साहक पाठ्यक्रमों के शिक्षण पाठ्यक्रम में, उपर्युक्त अधिनियमों/योजनाओं के प्रावधानों को शामिल करें।

4. इन निर्देशों का व्यापक प्रचार किया जाए तथा संबंधित व्यक्तियों द्वारा अति सावधानीपूर्वक इनका पालन किया जाए।

ह०/-
(विरेन्द्र प्रकाश)
डी.सी.पी./मुख्यालय (2)
कृते-पुलिस आयुक्त, दिल्ली

संख्या 23/3/90/2197-2222/सी. और टी.-एस.सी.-एस.टी. सैल, दिनांक 18-1-91

प्रति प्रेषित :—

1. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (एल० तथा ओ० एवं (रेंजज) नई दिल्ली, उत्तरी, दक्षिणी, सी०आई०डी० तथा प्रशिक्षण, दिल्ली/नई दिल्ली।
2. पुलिस आयुक्त, दिल्ली के वैयक्तिक सहायक।
3. सभी जिलों के पुलिस उपायुक्त, पुलिस उपायुक्त/अपराध तथा रेलवे एवं आई०जी० आई० एयरपोर्ट दिल्ली/नई दिल्ली तथा प्रधानाचार्य/पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, दिल्ली।
4. पुलिस उपायुक्त/मुख्यालय (1), दिल्ली।
5. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त/मुख्यालय (पी०)।
6. निरीक्षक/ए०पी०-०पी०एच०क्यू०
7. एच०ए०आर०/पी०एच०क्यू० को 10 प्रतियों सहित।
8. एच०ए०सी० और टी० तथा एस० आई० 11 को गार्ड फाइल के लिए।

फूलों का निर्यात

2520. श्री महेन्द्र सिंह लाठर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश फलों के निर्यात से काफी विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकता है, और यदि हां, तो फूलों की खेती बढ़ाने और उनकी किस्मों में सुधार लाने और वैज्ञानिक पद्धति से फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा जनवरी, 1990 से अब तक उठाये गये कदमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने इस विषय का अध्ययन करने के लिए श्री पी० पी० त्रिवेदी की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था और इस समिति ने अपना प्रतिवेदन जुलाई, 1989 में सरकार को प्रस्तुत कर दिया था ;